रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263355 CG-DL-E-24052025-263355

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

No. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ ज्येष्ठ 2, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/ JYAISTHA 2, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2025

सा.का.नि. 340(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड(5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -
 - (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 2021, में नियम 37 के उप-नियम (29) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

3400 GI/2025 (1)

"(ग) किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती कदाचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहण भी होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की दशा में, उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्यधीन होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 41 के साथ पठित नियम 7 और 8 तथा नियम 44 के उप-नियम (5) के सभी सुसंगत उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इन नियमों के अधीन किसी सरकारी सेवक को लागू होते हैं।"

[फा.सं. 04/17/2023-पीएंडपीडब्ल्यू(डी)]

ध्रवज्योति सेनगृप्ता, संयक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 868(अ) तारीख 20 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2025

- **G.S.R.** 340(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely:
- 1. Short title and commencement.-
 - (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, inrule 37, in sub-rule (29), for clause (c), the following shall be substituted, namely:-
- "(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall lead to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Government also and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decision of the undertaking shall be subject to review by the Ministry administratively concerned with the undertaking.

Explanation - For the purposes of this sub-rule, the relevant provisions of rules 7 and 8 read with rule 41 and sub-rule (5) of rule 44shall be applicable analogous as it is applicable to a Government servant under these rules."

[F. No. 04/17/2023-P&PW(D)] DHRUBAJYOTI SENGUPTA, Jt.Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 868(E), dated the 20th December, 2021.